प्रेस नोट

भोपाल, दिनांक 22.2.2013

माननीय वित्त मंत्री श्री राघवजी ने आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2013-2014 का बजट प्रस्तुत किया है। वर्ष 2013-2014 के प्रस्तुत बजट में मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है : -

- वर्ष 2013-2014 के बजट में कुल व्यय ₹ 91946.86 करोड़ का प्रावधान।
- वर्ष 2013-2014 के लिये ₹ 5214.83 करोड़ का राजस्व आधिक्य।
- वर्ष 2013-2014 का राजकोषीय घाटा ₹ 12218.53 करोड़ होना संभावित है।
- मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अनुमानित।
- वित्तीय वर्ष 2013-2014 की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ₹ 79603.47 करोड़ है, जिनमें राज्य के स्वयं के कर की राशि ₹ 33381.68 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा ₹ 23693.61 करोड़, करेतर राजस्व ₹ 7583.39 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त अनुदान ₹ 14944.79 करोड़ शामिल है।

- वित्तीय वर्ष 2013-2014 में वर्ष 2012-13 के राज्य के स्वयं के कर राजस्व के बजट अनुमानों से 17.91% की वृद्धि अनुमानित।
- वित्तीय वर्ष 2013-2014 में राजस्व व्यय ₹ 74388.64 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान ₹ 63543.503 करोड़ से ₹ 10845.14 करोड़ अधिक है।
- वर्ष 2013-2014 का प्रारंभिक शेष ₹ (-) 195.33 करोड़ अनुमानित है। वर्ष के संव्यवहार अनुमानित ₹ 72.24 करोड़ है इस प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध वित्तीय संव्यवहार ₹ (-) 123.09 करोड़ पर समाप्त होना अनुमानित है।
- वर्ष 2012-13 के बजट आयोजना व्यय ₹ 31743.48 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2013-2014 में कुल आयोजना व्यय ₹ 37608.17 करोड़ प्रावधानित है। इस प्रकार आयोजना व्यय में 18 % की वृद्धि अनुमानित है।
- आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2013-2014, वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान ₹ 6,109.88 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,907.15 करोड़ प्रावधानित है, जो कि बजट अनुमान वर्ष 2012-13 से 13.05% अधिक है।
- अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2013-2014 के बजट अनुमान, वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान ₹ 4,241.82 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,889.99 करोड़ प्रावधानित है, जो कि बजट अनुमान वर्ष 2012-13 से 15.28% अधिक।

राजकोषीय स्थिति

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात 2.98 %
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व आधिक्य का अनुपात 1.27 %
- ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से 8.19%
- वर्ष 2013-14 में शुद्ध ऋण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद घटकर 14.30%

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए गत वर्ष की भांति पृथक से कृषि बजट
- सिंचाई सुविधा के विकास के लिए कुल ₹ 4,765 करोड़ का प्रावधान
- 2 वृहद एवं 10 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य वर्ष 2013-14 में प्रारंभ किए जायेंगे
- सिंचाई हेतु ऊर्जा की खपत में राज सहायता के रुप में ₹ 1,700 करोड़
- कृषि कार्यों के लिए 8 घंटे लगातार विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए फीडर विभिक्तिकरण योजना में वर्ष 2013-14 में ₹ 3,000 करोड़ का निवेश
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 1 हेक्टेयर तक के कृषकों के लिए 5 हार्स पावर तक के कृषि पंपों एवं 25 यूनिट प्रतिमाह तक निःशुल्क घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए ₹ 400 करोड़ का प्रावधान
- शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ₹ 500 करोड़ का प्रावधान

- गेहूँ उपार्जन पर ₹ 150 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाना प्रस्तावित। इस हेतु ₹ 1,050 करोड़ का प्रावधान
- कतार बोनी को प्रोत्साहित करने हेतु सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल अनुदान
- शतप्रतिशत बोजोपचार का लक्ष्य
- मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना
- राज्य माइक्रो इरीगेशन मिशन के लक्ष्य में 5 गुना वृद्धि एवं 9 करोड़ का प्रावधान
- युवा उद्यमियों एवं कृषि स्नातकों के लिए 250 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना का निर्णय। प्रावधान राशि ₹ 32 करोड़
- जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए ₹ 12 करोड़ की नवीन योजना। इसके साथ ही जैविक खेती करने वाले कृषकों को विकास खण्ड स्तर पर भी पुरुस्कृत करने की योजना
- उच्च उत्पादन वंशावली के बछड़े एवं बछड़ियां तैयार करने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के लिए ₹ 4 करोड़ का प्रावधान
- घर पहुंच पशु चिकित्सा सुविधाओं का 89 आदिवासी विकास खण्ड में विस्तार

- 50 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना एवं 123 पशु औषधालयों के उन्नययन के लिए ₹ 18 करोड़ का प्रावधान
- एकीकृत सहकारी विकास परियोजनायें प्रारंभ करने के लिए ₹ 55 करोड़ का प्रावधान
- सहकारी केन्द्रीय बैंकों में कोर बैंकिंग सुविधा का प्रारंभ
- फसल को कृष्ण मृग एवं नीलगायों द्वारा नुकसान पहुंचाने पर राजस्व पुस्तिका में सहायता का प्रावधान
- खाद वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सहकारी समितियों को अग्रिम भंडारण हेतु गोदाम किराया एवं पूंजी पर लगने वाले ब्याज हेतु प्रावधान ₹ 35 करोड़
- अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत वर्ष 2013-14 में राशि ₹ 350 करोड़ का प्रावधान
- मत्स्य पालन के लिए आयोजना व्यय में गतवर्ष की तुलना में 50 % की वृद्धि, कुल प्रावधान ₹ 27 करोड़
- मछुआरों को भी कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए अल्पकालीन ऋण शून्य प्रतिशत की ब्याज दर पर
- कृषि उपज के समुचित भंडारण के लिए ₹ 12 करोड़ का प्रावधान

भौतिक अधोसंरचना विकास

- वर्ष 2013-14 में ऊर्जा क्षेत्र अन्तर्गत ₹ 8,856 करोड़ का प्रावधान जो कि वर्ष 2012-13 से ₹ 1,146 करोड़ अधिक है।
- पारेषण एवं उप-पारेषण व्यवस्था के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 2,681 करोड़ का प्रावधान
- विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए ₹ 405 करोड़ का प्रावधान
- अपरम्परागत ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए ₹ 29 करोड़ का प्रावधान
- सड़क निर्माण एवं संधारण के लिए ₹ 4,970 करोड़ का प्रावधान
- मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ₹ 501 करोड़ का प्रावधान
- सिंचाई सुविधा के विकास के लिए कुल ₹ 4,765 करोड़ का प्रावधान
- 2 वृहद एवं 10 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य वर्ष 2013-14 में प्रारंभ किए जायेंगे

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

- पंचायत एवं ग्रामीण विकास हेतु ₹ 7,444 करोड़ के प्रावधान
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना अंतर्गत ₹ 35 करोड़ का प्रावधान
- ग्रामीण एवं शहरी निकायों को हस्तान्तरण हेतु ₹ 1,325 करोड़ का प्रावधान जो गत वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक

पेयजल

- जल प्रदाय के लिए ₹ 1,743 करोड़ का प्रावधान
- 13,200 ग्रामीण बसाहटों में नलकूप खनन/नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जल प्रदाय व्यवस्था करना प्रस्तावित
- ₹ 432 करोड़ की लागत की नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना प्रारंभ
- 5,794 आंगनबाड़ियों के लिए पेयजल व्यवस्था
- जल निगम में ₹ 15 करोड़ का पूंजी निवेश

शिक्षा

- शिक्षा अन्तर्गत ₹ 13,763 करोड़ का प्रावधान, जो गत वर्ष से ₹ 1,644 करोड़ अधिक
- कमजोर एवं वंचित समूह के लगभग 2.65 लाख बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति व्यवस्था प्रस्तावित जिसके लिए ₹ 71 करोड़ की प्रतिपूर्ति
- गांव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना का विस्तार
- नौगांव, छतरपुर में नवीन इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पुस्तकों हेतु ₹ 1500/- एवं स्टेशनरी हेतु ₹ 500/- की वृद्धि
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शोध कार्य हेतु देय छात्रवृत्ति में 2 गुना वृद्धि
- सिंगरौली जिले के देवसर, खरगौन जिले के कसरावाद, जबलपुर जिले के पाटन एवं सतना जिले के मझगवां में आई. टी. आई. की स्थापना
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के आई.टी.आई. प्रशिक्षणार्थियों की शिष्यवृत्ति 140 प्रतिमाह से बढ़ाकर 235 प्रतिमाह

स्वास्थ्य

- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹ 4,147 करोड़ का प्रावधान जो गत वर्ष की तुलना में ₹ 551 करोड़ अधिक
- देवास, मंदसौर, विदिशा, रायसेन, झाबुआ, सीधी, राजगढ़, नरसिंहपुर, सतना एवं सिवनी में जी.एन.एम. स्कूल की स्थापना
- प्रदेश की 108 एम्बुलेंस सेवायें (नवीन नाम- संजीवनी – 108) के बेड़े में 100 अतिरिक्त वाहन
- 150 अतिरिक्त एम्बुलेंस के संचालन की स्वीकृति
- ए.एन.एम. की 2,500/-, जी.एन.एम. की 3,000/- एवं बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियें को 3,500/- स्टायपेंड
- मरीजों को बेहतर भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रति मरीज व्यय की सीमा ₹ 30/- से बढ़ाकर ₹ 40/- किए जाने का निर्णय

महिला एवं बाल विकास

- महिला एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ₹ 5,106 करोड़ के प्रावधान जो गत वर्ष से 26 प्रतिशत अधिक
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत ₹ 850 करोड़ का प्रावधान, जो गत वर्ष से 30 प्रतिशत अधिक
- आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु ₹ 111 करोड़ का प्रावधान एवं भवन अनुरक्षण हेतु 5 करोड़ का प्रावधान
- महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करने की योजना

सामाजिक न्याय

- वर्ष 2013-14 में ₹ 1,397 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित जो गत वर्ष से ₹ 31 प्रतिशत अधिक
- अन्त्योदय मेलों का विकासखण्ड स्तर आयोजन जारी। इसके लिए ₹ 17 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना अंतर्गत ₹ 100 करोड़ का प्रावधान जो गत वर्ष से 67 प्रतिशत अधिक
- निःशक्त वर्ग के लोगों के लिए शासकीय सेवा में आरक्षित पदों में से रिक्त पदों को चिन्हांकित किए जाने पर निःशक्तजनों के नियोक्ता के रुप में उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्यप्रदेश राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत
- राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन

नगरीय निकाय

- नगरीय प्रशासन एवं विकास हेतु ₹ 5,168 करोड़ का प्रावधान, जो गत वर्ष से 22 प्रतिशत अधिक
- मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना एवं मुख्यमंत्री स्वच्छता मिशन हेतु ₹ 258 करोड़ का प्रावधान
- झीलों तथा तालाब के संरक्षण एवं विकास की योजना प्रारंभ। इस हेतु ₹ 1 करोड़ का प्रावधान
- नगरीय निकायों में वित्तीय, प्रशासनिक, ई-गवर्नेंस, संपत्तिकर एवं उपभोक्ता प्रभार में सुधार इत्यादि हेतु "शहरी सुधार कार्यक्रम" योजना प्रारंभ
- नगरों में साफ सफाई व्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु वाल्मीकि योजना प्रारंभ
- सिंहस्थ-2016 के लिए ₹ 150 करोड़ का प्रावधान

खेलकूद

- खेलकूद के क्षेत्र के लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 126 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित जो गत वर्ष से 21 प्रतिशत अधिक
- वर्ष 2012-13 में प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर 1,586 पदक अर्जित किए जाकर प्रदेश को गौरवान्वित किया गया है
- वर्ष 2013-14 से नवीन योजना ओलंपिक-2020 प्रारंभ
- प्रदेश के 15 शहरों में हाकी एस्ट्रोटर्फ के निर्माण हेतु वर्ष 2013-14 में ₹ 3 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित

पर्यटन एवं संस्कृति

- वर्ष 2013-14 में पर्यटन गतिविधियों के विकास के लिए ₹ 158 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित जो गत वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक
- प्रत्येक जिले के पर्यटक केन्द्रों के विकास हेतु ₹ 11 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित
- वर्ष 2013-14 में संस्कृति विभाग के लिए ₹ 141 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित जो गत वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक
- "सांची बौद्ध भारतीय-ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय" की स्थापना के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित
  मुरैना में "अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केन्द्र" की स्थापना का निर्णय
- स्वामी विवेकानंद की 150वें जन्म वर्ष समारोह के आयोजन के लिए ₹ 1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित

उद्योग एवं खनिज

- उद्योग क्षेत्र हेतु ₹ 907 करोड़ का प्रावधान, जो गत वर्ष से 40 प्रतिशत अधिक
- उद्योग निवेश संवर्धन सहायता हेतु ₹ 340 करोड़ का प्रावधान
- एम.एस.एम.ई. सेक्टर में प्रति इकाई लागत सर्वाधिक रोजगार के अवसर सृजित करने वाली प्रथम तीन इकाईयों को प्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः ₹ 5 लाख, ₹ 3 लाख एवं ₹ 2 लाख का "दत्तोपंत ठेंगड़ी पुरस्कार" प्रदान करने का निर्णय
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का प्रारंभ, 50,000 युवाओं को लाभान्वित करने के लिए ₹ 54 करोड़ का प्रावधान

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

- अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना में गतवर्ष से ₹ 1,447 करोड़ का अधिक प्रावधान
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों में दोगुने से ज्यादा वृद्धि
- देय राहत राशि ₹ 2 लाख को बढ़ाकर ₹ 5 लाख किए जाने का निर्णय
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शासकीय एवं स्वशासी महाविद्यालयों के इंजीनियरिंग एवं मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों को लैपटाप प्रदाय करने का निर्णय। इसके लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 14 करोड़ का प्रावधान
- वर्ष 2013-14 में आदिवासी विकासखण्डों में 40 हाईस्कूलों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, 20 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूलों एवं 20 अंग्रेजी माध्यम की प्राथमिक स्तर की आश्रम शालाओं का माध्यमिक स्तर की शालाओं में उन्नयन

- 20 नवीन कन्या शिक्षा परिसर खोला जाना प्रस्तावित
- 20 उच्चतर माध्यमिक शालाओं में अतिरिक्त संकाय प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित
- नवीन 20 पोस्टमैट्रिक छात्रावास, 10 प्रीमैट्रिक छात्रावास एवं 10 आश्रम शालायें संचालित किया जाना प्रस्तावित
- अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 2 नवीन क्रीड़ा-परिसर प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित
- क्रीड़ा-परिसर में निवासरत खिलाड़ियों को दैनिक भोजन व्यय की दर ₹ 25/- से बढ़ाकर ₹ 100/- प्रतिदिन एवं खेलकिट प्रति खिलाड़ी ₹ 850/- से बढ़ाकर ₹ 3,000/- किए जाने का निर्णय
- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 119 नवीन छात्रावासों की स्थापना एवं वर्तमान में संचालित छात्रावासों में तीन हजार सीटों की वृद्धि प्रस्तावित
- विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुम्मकड़ जातियों के कल्याण हेतु ₹ 24 करोड़ का प्रावधान

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

- पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में ₹ 749 करोड़ के प्रावधान जो गतवर्ष से 37 प्रतिशत अधिक
- पिछड़े एवं अल्प संख्यक वर्ग के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की पृथक से मानीटरिंग एवं क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का निर्णय

कानून एवं व्यवस्था

- पुलिस बल के लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 3,962 करोड़ का प्रावधान। जो गत वर्ष की तुलना में 37% अधिक
- वर्ष 2013-14 में कुल 5,000 पदों के भरने की कार्यवाही प्रस्तावित है
- नवीन महिला अपराध शाखा का गठन। इसके अंतर्गत 500 नवीन पद एवं वर्ष 2013-14 में ₹ 23 करोड़ का प्रावधान
- पुलिस स्वास्थ्य अधोसंरचना, सामुदायिक पुलिस एवं सामाजिक सशक्तिकरण तथा पर्यटन पुलिस, राजमार्ग सुरक्षा एवं संरक्षा, केन्द्रीकृत पुलिस काल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र, स्वचालित अंगुल चिन्ह व्यवस्था आदि नवीन योजनाओं को प्रारंभ करने का निर्णय। जिसके लिए आवश्यक प्रावधान
- 52 नये जिला एवं सत्र न्यायालय तथा 86 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय की स्थापना हेतु स्टाफ सहित कुल 1,208 पदों के सृजन। इसके लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 29 करोड़ का प्रावधान
- अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि गठित करने का निर्णय। इसके लिए ₹ 5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित
- माध्यस्थम अधिकरण में नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं की फीस ₹ 5,000/- प्रति प्रकरण को 4 गुना बढ़ाकर ₹ 20,000/- प्रति प्रकरण किए जाने का निर्णय

प्रशासनिक सुधार

- वर्ष 2012-13 में क्रय पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नही लगाया जो राज्य की बेहतर एवं नियंत्रित वित्तीय स्थिति का प्रमाण
- सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिवारों तथा घायलों को दी जाने वाली सहायता राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता ₹ 10,000/- से बढ़ाकर ₹ 15,000/- तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को आर्थिक सहायता ₹ 5,000/- से बढ़ाकर ₹ 7,500/- करने का निर्णय
- 50 जिला पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों एवं 23,006 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को देय मासिक मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय

कर्मचारी कल्याण

- सरकार द्वारा अपने वादे के अनुरूप कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्र सरकार की भांति 72 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते का भुगतान
- पुलिस बल के प्रधान आरक्षकों एवं आरक्षकों को प्रतिवर्ष ₹ 725/- किट एलाउन्स दिए जाने का निर्णय
- अंशकालिक सफाई कर्मचारियों, अंशकालिक भृत्यों एवं स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक लिपिकों के पारिश्रमिक में क्रमशः ₹ 300/-, ₹ 400/- एवं ₹ 500/- प्रतिमाह वृद्धि करने का निर्णय। इस वृद्धि के पश्चात अंशकालिक सफाई कर्मचारियों, अंशकालिक भृत्यों एवं अंशकालिक लिपिकों के पारिश्रमिक कमशः ₹ 1000/-, ₹ 2000/- एवं ₹ 2500/- प्रतिमाह हो जायेंगे

प्रमुख योजनायें

(राशि करोड़ में)

सड़क विकास, अनुरक्षण एवं मरम्मत (लोक निर्माण)	3279
गृह विभाग में जिला स्थापना एवं विशेष पुलिस	3005
सर्वशिक्षा अभियान	2067
प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण	1938
टैरिफ अनुदान	1700
विद्युत कंपनियों को कार्यशील पूँजी हेतु ऋण	1500
उप पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	1346

पोषण आहार	1203
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत खद्यान्न उपार्जन हेतु प्रोत्साहन	1050
पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति	1008
लाड़ली लक्ष्मी योजना	850
बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड	819
वैट कर क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तांतरण	620
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सडकों सहित)	582
नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य (जल संसाधन)	556
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	555
कृषकों /मछुआरों को अल्पकालिक ऋण हेतु अनुदान	500
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	498
आपदा राहत	455
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	433
विधि विभाग में स्थापना व्यय	416
ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना	412
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	400
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन	380
स्थानीय निकायों को सामान्य अनुदान एवं अनुपालन अनुदान	376
श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	365
उद्योग निवेश संर्वधन सहायता योजना	340
नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य (नर्मदा घाटी परियोजना)	311
मध्यम तथा छोटे शहरों के लिए इन्फ्रास्टक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम	310
बांध तथा संलग्न कार्य	246
केन्द्रीय सड़क निधि	234
स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान	223
कृषकों को नवीन विद्युत कनेक्शन हेतु अनुदान	223
साइकिलों का प्रदाय	220
बरगी नहर व्यपवर्तन	204
म.प्र. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	178
जनभागीदारी योजना (सामान्य/)	177
राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला)	170
पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तांतरण	150
सिंहस्थ मेले की व्यवस्था	150
रानी अवंतीबाई सागर परियोजना	133
एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	122
वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिए अनुदान	121
वन ग्रामों के पुनर्वास हेतु मुआवजा	120
सरदार सरोवर के डूबान से प्रभावित क्षेत्र	114
राजीव आवास योजना	100
तीर्थदर्शन यात्रा के लिए राज सहायता	70
आंगनबाड़ी केन्द्रों में जल प्रदाय	58
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	54
मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान	50
आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था	58

वर्ष 2003-04 से वर्ष 2013-14 तक दस वर्षों में वित्तीय संकेतकों की स्थिति

क्रमांक	वित्तीय संकेतक	वर्ष 2003-04	वर्ष 2013-14	टिप्पणी
1	कुल व्यय	₹ 21,647 करोड़	₹ 91,946 करोड़	चार गुना से अधिक वृद्धि
2	राज्य के स्वयं के करों से प्राप्त राजस्व	₹ 6,805 करोड़	₹ 33,381 करोड़	पाँच गुना वृद्धि
3	राज्य आयोजना व्यय	₹ 5,684 करोड़	₹ 37,608 करोड़	छः गुना वृद्धि
4	पूँजीगत परिव्यय	₹ 2,883 करोड़	₹ 17,558 करोड़	छः गुना से अधिक वृद्धि
5	ब्याज भुगतान	₹ 3,206 करोड़	₹ 6,518 करोड़	बजट की चार गुना वृद्धि की तुलना में ब्याज भुगतान में केवल दो गुना की वृद्धि
6	राजस्व घाटा/आधिक्य	₹ 4,475 करोड़ (राजस्व घाटा)	₹ 5,215 करोड़ (राजस्व आधिक्य)	वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति है
7	कुल राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	22.44 प्रतिशत	8.19 प्रतिशत	ढाई गुना से अधिक की कमी हुई
8	कुल आयोजना व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	26.26 प्रतिशत	41 प्रतिशत	लगभग डेढ़ गुना वृद्धि हुई
9	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में पूँजीगत परिव्यय का प्रतिशत	2.80 प्रतिशत	4.28 प्रतिशत	डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि
10	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत	7.12 प्रतिशत	2.98 प्रतिशत	केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के अन्दर
11	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल ऋण का प्रतिशत	33.71 प्रतिशत	22.55 प्रतिशत	एक तिहाई कमी
12	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में शुद्ध ऋण का प्रतिशत	31.18 प्रतिशत	14.30 प्रतिशत	लगभग दो गुना कमी
13	वर्तमान मूल्यों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद	₹ 1,02,839 करोड़	₹ 4,09,877 करोड़	चार गुना वृद्धि

मुख्य विशेषताएं

1. सरकार अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के पक्ष में है परन्तु प्रस्तावित व्यवस्था अन्तर्गत राज्य की वित्तीय स्वायत्ता समाप्त होने से संविधान के मूलभूत ढांचे को गंभीर आघात पहुंचेगा।

2. लगभग दो तिहाई करयोग्य सेवाओं का उपयोग इनपुट के रूप में मैन्युफैक्चरिंग में होने से सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के करारोपण से राज्यों को प्राप्त होने वाला अतिरिक्त कराधार सीमित

3. जी.एस.टी. प्रणाली अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कर की दरों से राज्य को राजस्व की बड़ी हानि होगी। परन्तु आम आदमी पर कर का बोझ बढ़ेगा तथा दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं महंगी होंगी।

4. सेवा क्षेत्र की गतिविधियों पर केन्द्र द्वारा अधिरोपित कर के संग्रहण हेतु राज्यों को अधिकृत करने के लिये संविधान (अठ्ठासींवा संशोधन) अधिनियम में प्रावधान के कियान्वयन में जानबूझकर देरी।

5. राज्य के कराधान संबंधी वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिये आवश्यक सभी वैधानिक प्रयास किये जाएंगे।

6. ऑटोमोबाईल तथा टेक्सटाईल निर्माण में प्रयुक्त कम्पोनेन्ट तथा कच्चे माल के स्थानीय क्रय पर आंशिक आगत कर रिबेट का रिटेन्शन 4 से कम कर 2 प्रतिशत् किया जाना प्रस्तावित है। राजस्व हानि ₹ 30 करोड़।

7. ऐसे कम्पोनेन्ट्स, जिनका मुख्यतः ऑटो मोबाईल के निर्माण में उपयोग होता है, को इण्डस्ट्रीयल इनपुट के रूप में अधिसूचित करते हुए उन पर वेट की दर 5 प्रतिशत् करना प्रस्तावित है।

8. निम्न वस्तुओं को करमुक्त करना प्रस्तावित है :–

   (क) रोटावेटर

   (ख) प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्तओं को उपलब्ध कराए जाने वाले विद्युत खपत मीटर के रेन्ट को 1 अप्रैल, 2006 से वेट से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

9. वेट की दरों के युक्तियुक्तकरण के क्रम को जारी रखते हुये निम्न वस्तुओं पर वेट की दर 13 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है :–

   (1) प्रि–फेब्रीकेटेड स्टील स्ट्रक्चर

   (2) मिल्किंग मशीन

   (3) ऑक्सीजन

   (4) नेफ्था, बार्बेड वायर, वायर वेल्डेड मेस, चेन लिंक

   (5) इमल्सीफाइड बिटुमिन

   (6) टॉफी, लाजेन्जेस, कैण्डी और पिपरमेन्ट ड्राप्स, जिनका विक्रय मूल्य ₹ 100/– प्रति किलो से अधिक न हो

   (7) सभी प्रकार के नमकीन

10. सरसो खली के निर्माण में उपयोग किए गए तिलहन पर भी पूर्ण आगत कर रिबेट ।

11. मैन्युफैक्चरिंग में नेचुरल गैस के ईंधन के रूप में उपयोग पर पूरा आगत कर रिबेट प्रस्तावित राजस्व हानि ₹10 करोड़ ।

12. रेत, गिट्टी पर चुकाए गए कर के रिबेट की सुविधा ।

13. इनपुट टैक्स रिबेट के असमायोजित आधिक्य की 75 प्रतिशत की अग्रिम वापसी बैंक गारंटी के विरूद्ध करना प्रस्तावित ।

14. भवन निर्माताओं द्वारा दिनांक 30 जून, 2013 तक नामांकन प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर, उन्हें प्रारंभ से ही रिबेट की सुविधा ।

15. प्रशमन (कम्पोजिशन) की सुविधा ₹ एक करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसाईयों को भी।

16. प्लान्ट एवं मशीनरी पर प्रवेश कर का भार 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत् करना प्रस्तावित है। राजस्व हानि ₹ 30 करोड।

17. रसोई गैस (एल.पी.जी.–घरेलू) पर प्रवेश कर की दर 6.47 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। राजस्व हानि ₹ 80 करोड़ ।

18. स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा अपने नियमित सदस्यों हेतु आयोजित खेल गतिविधियों एवं अम्यूजमेन्ट पार्क तथा थीम पार्क की गतिविधियों पर दर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

19. लघु उद्यमियों को वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने पर होने वाले ट्रांजेक्शन कास्ट कम करने की दृष्टि से हाईपोथिकेशन के करारों पर स्टाम्प शुल्क निम्नानुसार प्रभारित किया जाना प्रस्तावित है :–

(एक) जहां प्रतिभूत रकम एक लाख रूपये से अधिक न हो– सौ रूपये स्टॉम्प शुल्क।

(दो) जहां प्रतिभूत रकम एक लाख रूपये से अधिक हो तथा वह तीन माह से कम अथवा इससे अधिक अवधि पर प्रतिसंदेय हो– अधिकतम 2 लाख रूपये के अध्यधीन रहते हुये प्रतिभूत रकम का 0.25 प्रतिशत।

20. कब्जा रहित अनुबंध–पत्रों पर स्टाम्प शुल्क घटाकर ₹1000/– करना प्रस्तावित ।

21. समग्र रूप से उपरोक्त करों में दी गई रियायतों से लगभग 170 करोड़ राजस्व हानि।

22. गेहूँ पर लागू क्रय कर की व्यवस्था धान पर भी लागू करना प्रस्तावित है। ₹ 50 करोड़ का राजस्व अनुमानित है।

23. देशी एवं विदेशी मदिरा के विक्रयों पर 5 प्रतिशत की दर से वेट लगाना प्रस्तावित है। ₹ 120 करोड़ का राजस्व अनुमानित है।